विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 13 जून, 2012

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–28/2012–लेज़.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 8–6–2012 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएं कर संशोधन अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक 2) को संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
(के0एस0 चंदेल),
सचिव (विधि)।

2012 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएं कर संशोधन अध्यादेश, 2012

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएं कर अधिनियम,1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **अध्यादेश** ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियॉ विद्यमान हैं, जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है,

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती है :–

1. संक्षिप्त नाम.–इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएं कर संशोधन अध्यादेश, 2012 है ।

2. नई धारा 6–ङ का अन्तःस्थापन.–हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएं कर अधिनियम,1979 (1979 का 15) की धारा 6–घ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थातः–

"6–ङ, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में नए होटलों के स्वत्वधारियों द्वारा विलास–वस्तु कर का संदाय करने से छूट की बाबत विशेष उपबन्ध.–(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की यह राय है कि राज्य में जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के आशय से ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, तो वह एक स्कीम अधिसूचित कर सकेगी तथा प्रथम अप्रैल, 2012 के पश्चात् जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में प्रर्वतन में आए नए होटलों के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों को होटल के प्रवर्तन में आने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए विलास–वस्तु कर का संदाय करने से, ऐसे निर्वन्धनों और शर्तों के अध्यधीन जैसी उक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं छूट दे सकेगी ।

(2) धारा 4 की उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे नए होटलों का कोई भी स्वत्वधारी, उस अवधि, जिसमें उपधारा (1) के अधीन छूट प्रवर्तन में रहती है, के दौरान ऐसे नए होटलों में उपलब्ध करवाई गई विलास–वस्तु के लिए विलास–वस्तु कर के रुप में किसी राशि का संग्रहण नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र से निम्नलिखित अभिप्रेत है,–

(i) जिला लाहौल एवं स्पिति,
(ii) चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल,
(iii) रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र,
(iv) जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना,मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट,
(v) कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना,
(vi) कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल के बड़ा भंगाल के क्षेत्र,
(vii) जिला किन्नौर,
(viii) सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त और

(ix) मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गुसैणी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–हड़वानी, हस्तपुर, ग्रामचार और भटेनहर पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा, उत्तरी मगरु और दक्षिणी मगरु पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।" ।

(उर्मिला सिंह)
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ।

(के0 एस0 चन्देल)
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

शिमलाः

तारीखः

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. Ordinance No. 2 of 2012

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT ORDINANCE, 2012

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (Act No.15 of 1979).

Whereas the legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW,THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Amendment Ordinance, 2012.

2. Insertion of new section 6-E.—After section 6-D of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, the following new section shall be inserted, namely:-

"6-E. *Special provisions relating to exemption from payment of luxury tax by proprietors of new hotels in tribal and hard areas*.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government is of the opinion that in order to promote tribal and hard area tourism in the State, it is necessary and expedient, in the public interest so to do, it may notify a scheme, and exempt the registered proprietors of new hotels in tribal and hard areas come into operation after 1st April,2012 from the payment of luxury tax for a period of ten years from the date the hotel commences operation, subject to such restrictions and conditions as may be specified in the said scheme.

(2) Notwithstanding anything contained in sub- section (6) of section 4, no proprietor of such new hotels shall, during the period when the exemption under sub-section(1) remains in force, collect any sum by way of luxury tax for the luxury provided in such new hotels.

Explanation.—For the purpose of this section tribal and hard area means,-

(i) District Lahaul and Spiti,
(ii) Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District,
(iii) Dodra Kawar Area of Rohru Sub- Division,
(iv) Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Kashapat Gram Panchayat of Rampur Tehsil of District Shimla,
(v) Pandrah Bis Pargana of Kullu Distrit,
(vi) Bara Bangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra.
(vii) District Kinnaur,
(viii) Kathwar and Korga Patwar Circles of kamrau Sub- Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District, and

(ix) Khanyol- Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada- Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh- hadhwani, Hastpur, Ghamrchar and Bhatenhar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach- Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District."

(URMILA SINGH)
Governor,
Himachal Pradesh.

(K.S.CHANDEL)
Secretary (Law)

Shimla
Dated: